न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2017

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
1. घीसाराम पुत्र अचलाराम जाति सिरवी निवासी देवली पाबुजी		1. सरकार जरिये उप तहसीलदार खिंवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मागीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक:– 06.03.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 101/2016 में उप तहसीलदार खिंवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उप तहसीलदार खिंवाडा द्वारा दिनांक 12.01.2017 को रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम देवली पाबूजी तहसील रानी के खसरा नम्बर 324 रकबा 38.58 हैक्टेयर में से 0.038 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नदी की भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा कब्जा कर चारादीवारी बनाना दर्शाते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 06.10.2016 को तारीख पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया, जो अपीलाण्ट से विधिवत तामील भी नही करवाया गया तथा नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्शाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारवास से दण्डित किया, जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु किसी प्रकार का रेकर्ड पत्रावली पर नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2016 की पालना में विधिवत नोटिस जारी नही किया एवं न ही विधिवत तामील करवाया गया, साथ ही पूर्व पत्रावली रेकर्ड पर उपलब्ध नही होने से धारा 91 (2) का नोटिस भी जारी नही किया जा सकता है। अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण निस्तारित करते हुए बेदखली एवं सजा का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रकरण में जिस स्थापित नियम कायदों की पालना करनी होती है, उनको नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण को किसी भी रूप में परीक्षित नही किया है तथा बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जो गैर वाज़िब है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम देवली पाबूजी तहसील रानी के खसरा नम्बर 324 रकबा 38.58 हैक्टेयर में से 0.038 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नदी की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर मशीनघर व चारदीवारी बनाने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उप तहसीलदार खिंवाडा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उप तहसीलदार खिंवाडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें पटवारी हल्का ने प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का अनाधिकृत कब्जा होना तथा आदतन अतिक्रमी होना जाहिर किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाण्ट/अप्रार्थी को जो नोटिस जारी किया है, वह आबाद मकान पर चस्पा किया गया है, जो पर्याप्त तामील होने के कारण तामील मानते हुए नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। चूंकि प्रकरण में वर्णित भूमि की किस्म गै0मु0 नदी है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उप तहसीलदार खिंवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 101/2016 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 को यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 06.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली